



सत्यमेव जयते

राजस्थान राज-पत्र  
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE

Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

श्रावण 17, मंगलवार, शाके 1939-अगस्त 8, 2017  
Sravana 17, Tuesday, Saka 1939-August 8, 2017

भाग 1 (ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग

(अनुभाग-1)

अधिसूचना

जयपुर, अगस्त 8, 2017

संख्या प.13(1)प्र.सु./सम./अनु-1/2011:- राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2011 (2011 का अधिनियम संख्यांक 23) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार एतद्द्वारा इस विभाग की अधिसूचना संख्या प.13(1)प्र.सु./सम./अनु-1/2008 दिनांक 5 अक्टूबर, 2011 समय-समय पर यथा संशोधित, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

**संशोधन**

उक्त अधिसूचना की सारणी के कॉलम संख्या 1 के विद्यमान क्रम संख्यांक 19 व उसकी प्रविष्टियों के पश्चात् निम्न नया क्रम संख्यांक 20 एवं उनकी प्रविष्टियाँ जोड़ी जावेंगी, अर्थात् :-

20	पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, अजमेर	127	दस्तावेज पंजीयन	24 घंटे	उप पंजीयक	रीडर	उप महानिरीक्षक	महानिरीक्षक	तकनीकी कारणों यथा-सर्वर डाउन होने, बिजली आपूर्ति नहीं होने, कम्प्यूटर सिस्टम खराब होने की स्थिति में विभागीय सेवा निर्धारित समयावधि में उपलब्ध नहीं करायी जा सकेगी।
----	----------------------------------	-----	-----------------	---------	-----------	------	----------------	-------------	---

राज्यपाल के आदेश से,

पवन कुमार गोयल  
प्रमुख शासन सचिव

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।

नोट:- अधिसूचना संख्या प.13(1)प्र.सु./सम./अनु-1/2008 दिनांक 05.10.2011 में सारणी के कॉलम संख्या 1 के विद्यमान क्रम संख्यांक 19 व उसकी प्रविष्टियों के पश्चात् पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, अजमेर विभाग का नया क्रम संख्यांक 20 एवं उनकी प्रविष्टियाँ जोड़ी गया।